विलोपित

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

45

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००४ कन्टैम्प्ट पिटीशन

विविध 1557-II/2004

गुलाबसिंह पुत्र श्री कमरसिंह आयु-५१ वर्ष
जाति दांगी, निवासी-ग्राम करीघाट
तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा

--आवेदक

श्री ए० के० अग्रवाल एडवोकेट ... द्वारा आज दि० 23/11/04 ... को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

23 NOV 2004

बनाम

१- नायब तहसीलदार टप्पा गुलाबगंज
विकास खण्ड ग्यारसपुर जिला विदिशा

२- श्रीमती लीलाबाई विधवा स्व० श्री
बब्बूलाल जी आयु-६८ वर्ष

३- अनिल गुप्ता पुत्र श्री बब्बूलाल जी गुप्ता
आयु-५० वर्ष

४- अरुण गुप्ता पुत्र श्री बब्बूलाल आयु-४३ वर्ष

५- श्रीमती अनिता गुप्ता पुत्री बब्बूलाल जी
गुप्ता आयु-३५ वर्ष

६- श्रीमती अलका गुप्ता पुत्री श्री बब्बूलाल
गुप्ता, आयु-४३ वर्ष

७- श्रीमती बबीता गुप्ता पुत्री श्री बब्बूलाल
गुप्ता आयु-३० वर्ष सभी जाति वैश्य
निवासीगण-गुलाबगंज तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा

८- मोतीलाल पुत्र श्री ग्याप्रसाद आयु-६६ व

९- श्रीमती लल्लाबाई बेवा बाबूलाल
आयु-६३ वर्ष

१०- रमाकान्त गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता
आयु-४२ वर्ष

११- विष्णुकान्त पुत्र श्री बाबूलाल आयु-४०

१२- [illegible] बेवा [illegible] आयु-[illegible]

नोटरी 3908 श्रीमती मीना चतुर्वेदी जिला ग्वालियर 32/8.98 मध्यप्रदेश सरकार

श्रीमती मीना चतुर्वेदी नोटरी, ग्वालियर

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1557-दो/2004 विविध जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
4-8-16	राजस्व मण्डल,म०प्र०ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक १०९८-पीबीआर/ २००४ में पारित स्थगन आदेश दिनांक २७-११-९२ एंव २२-२-९३ के परिप्रेक्ष्य में यह अवमानना प्रकरण आवेदक व्दारा दायर किया गया। २/ आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति यह है कि जब उसके हित में स्थगन आदेश था तब स्थगन के प्रभावशील होने के वाद भी अनावेदकगण ने नवीन आवेदन देकर अीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की अपेक्षा कर स्थगन आदेश की अवमानना की है। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे है, इसलिये उनका पक्ष नहीं सुना गया जा सका है। ३/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया। विचाराधीन अवमानना प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के प्रकरण कमांक १०९८-पीबीआर/ २००४ का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में पारित अंतिम आदेश के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक १८७/१९९०-९१ अपील में पारित आदेश दिनांक ८-९-९२ के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में आवेदक को सफलता प्राप्त नहीं हुई है एंव निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त के आदेश दिनांक ८-९-९२ को यथावत् रखा गया है जिसके कारण विचाराधीन अवमानना प्रकरण में भी आवेदक को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करना संभव नहीं है एंव अवमानना प्रकरण कमांक १५५७-दो/२००४ व्यर्थ होने से इसी-स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	